# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

---

क्र./5966/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/10 भोपाल दिनांक 10.6.2010

प्रति,

जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला/जिला पंचायत ........................ (समस्त)
मध्यप्रदेश

**विषय :–** **पंचायत सचिवों को एनआरईजीएस अंतर्गत मानदेय भुगतान के संबंध में।**

**संदर्भ –** परिषद् का आदेश क्र. 716 दिनांक 15.2.2008

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित आदेश द्वारा ग्राम पंचायत साचिव (पंचायतकर्मी) को एनआरईजीएस अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय प्रदाय किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

वर्तमान में पंचायत विभाग द्वारा पंचायत सचिवों का वेतन स्वीकृत किया जा चुका है। अतः ऐसी ग्राम पंचायतें जहां नियमित वेतनमान पंचायत सचिवों को प्राप्त हो रहा है, वहां एनआरईजीएस का अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जावे एवं जिन ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को किन्हीं कारणवश वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है, उन ग्राम पंचायत सचिवों को संदर्भित पत्रानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

10/6/10
(शिव शेखर शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र./5967/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/10 भोपाल दिनांक 10.6.2010

**प्रतिलिपिः–**

1. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

10/6/10
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

PLetter2010.doc